



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27072026-274848
CG-DL-E-27072026-274848

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3883]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 23, 2026/श्रावण 1, 1948

No. 3883]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 23, 2026/SHRAVAN 1, 1948

संचार मंत्रालय

(डाक विभाग)

(महानिदेशक)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 2026

का.आ. 4053(अ).— महानिदेशक, डाकघर अधिनियम, 2023 (2023 का 43) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, डाकघर विनियम, 2024 में और संशोधन करने हेतु निम्नलिखित विनियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम डाकघर (पाँचवां संशोधन) विनियम, 2026 है।

(2) ये 1 अगस्त, 2026 को प्रवृत्त होंगे।

2. डाकघर विनियम, 2024 में, :-

(क) विनियम 98 के उप-विनियम (1) में “टिप्पण” के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :-

“टिप्पण 1: दस्तावेज़ में, विनियम 87 के उप-विनियम (1) में यथापरिभाषित पत्र या कोई अन्य लिखित, चित्रित या मुद्रित संसूचना, या कोई ऐसा पैकेज समाविष्ट होगा जिसमें प्रशंसात्मक मर्दाने या ऐसी मर्दाने रखी गई हों जिनका कोई पुनर्विक्रय मूल्य न अंतर्विष्ट है, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित होंगे :

(क) बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा संबंधी मर्दाने जैसे स्वागत किट या पत्र, पासबुक, चेक बुक, बैंक स्टेटमेंट, प्लास्टिक कार्ड्स, डेबिट कार्ड तथा क्रेडिट कार्ड आदि;

(ख) सरकारी दस्तावेज जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता फोटो पहचान पत्र, पासपोर्ट, चालन अनुज्ञप्ति आदि; और

(ग) व्यापारिक या वाणिज्यिक मर्दाने के सिवाय; 500 ग्राम तक की विविध मर्दाने जैसे राखी के लिफाफे या पैकेज, शुभकामना कार्ड या पैकेज।

टिप्पण 2: टिप्पण 1 में निर्दिष्ट मर्दाने से भिन्न अन्य सभी मर्दाने को पार्सल प्रवर्ग के अधीन काम में लाया जाएगा।”

(ख) विनियम 99 क में, उप-विनियम (5) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(5) स्पीड पोस्ट दस्तावेज के संबंध में 24 स्पीड पोस्ट और 48 स्पीड पोस्ट सेवाओं के लिए टैरिफ निम्नानुसार होगा:-

क. खुदरा ग्राहकों के लिए अनुसूची 1 की क्रमशः सारणी 4 ख और सारणी 4 ग में यथाविनिर्दिष्ट; और

ख. संविदागत थोक ग्राहकों के लिए अनुसूची 1 की क्रमशः सारणी 4 ड और सारणी 4 च में यथाविनिर्दिष्ट।”

(ग) अनुसूची 1 में, -

(i) “सारणी 4 ख और सारणी 4 ग” के लिए निम्नलिखित सारणियाँ रखी जाएंगी, अर्थात् :-

सारणी 4 ख						
[विनियम 99क(5) (क) देखिए]						
खुदरा ग्राहकों के लिए दस्तावेज प्रवर्ग के अधीन “24 स्पीड पोस्ट” पर टैरिफ						
	टैरिफ (रुपए में)					
भार/दूरी	स्थानीय	200 कि. मी. तक	201 से 500 कि. मी. तक	501 से 1000 कि. मी. तक	1001 से 2000 कि. मी. तक	2000 कि. मी. से उपर
50 ग्राम तक	38	94	94	94	94	94
51 ग्राम से 250 ग्राम तक	48	118	126	136	144	154
251 ग्राम से 500 ग्राम तक	56	140	150	164	172	186

टिप्पण: जीएसटी इसके अतिरिक्त होगा, यथा लागू।

सारणी 4 ग [विनियम 99क(5) (क) देखिए]					
खुदरा ग्राहकों के लिए दस्तावेज़ प्रवर्ग के अधीन “48 स्पीड पोस्ट” पर टैरिफ					
	टैरिफ (रुपए में)				
भार/दूरी	स्थानीय 200 कि. मी. तक	201 से 500 कि. मी. तक	501 से 1000 कि. मी. तक	1001 से 2000 कि. मी. तक	2000 कि. मी. से उपर
50 ग्राम तक	61	61	61	61	61
51 ग्राम से 250 ग्राम तक	77	82	88	94	100
251 ग्राम से 500 ग्राम तक	91	98	107	112	121

टिप्पण: जीएसटी इसके अतिरिक्त होगा, यथा लागू।

(ii) “सारणी 4 घ” के पश्चात् निम्नलिखित सारणियाँ अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

सारणी 4 ड [विनियम 99क(5) (ख) देखिए]				
संविदागत थोक ग्राहकों के लिए दस्तावेज़ प्रवर्ग के अधीन “24 स्पीड पोस्ट” पर टैरिफ				
	टैरिफ (रुपए में)			
भार स्लैब	स्थानीय	राज्य के भीतर	मेट्रो शहरों के बीच	देश के बाकी हिस्सों में
50 ग्राम तक	38	50	68	70
51 ग्राम से 500 ग्राम तक	48	60	94	100

टिप्पण: जीएसटी इसके अतिरिक्त होगा, यथा लागू।

सारणी 4 च [विनियम 99क(5) (ख) देखिए]			
संविदागत थोक ग्राहकों के लिए दस्तावेज़ प्रवर्ग के अधीन “48 स्पीड पोस्ट” पर टैरिफ			
	टैरिफ (रुपए में)		
भार स्लैब	राज्य के भीतर	मेट्रो शहरों के बीच	देश के बाकी हिस्सों में
50 ग्राम तक	48	56	60
51 ग्राम से 500 ग्राम तक	59	70	72

टिप्पण: जीएसटी इसके अतिरिक्त होगा, यथा लागू।

[फा. सं. 39-09/2019-डी]

प्रदीप कुमार, उप महानिदेशक (एमओ)

टिप्पण : डाकघर विनियम, 2024, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 5440 (अ.) तारीख 16 दिसंबर, 2024 के द्वारा प्रकाशित हुए थे और अंतिम बार संख्यांक का.आ. 3891 (अ.) तारीख 15 जुलाई, 2026 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF COMMUNICATIONS**(Department of Posts)****(DIRECTOR GENERAL)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 23rd July, 2026

S.O. 4053(E).— In exercise of the powers conferred by section 13 of the Post Office Act, 2023 (43 of 2023), the Director General, hereby makes the following regulations further to amend the Post Office Regulations, 2024, namely: —

1. (1) These regulations may be called the Post Office (Fifth Amendment) Regulations, 2026.
(2) They shall come into force on the 1st day of August, 2026.
2. In the Post Office Regulations, 2024, —
(a) in regulation 98, in sub-regulation (1), for the Note, the following Notes shall be substituted, namely:—

“Note 1: A document may contain a letter as defined in sub-regulation (1) of regulation 87 or any other communication, written, drawn, printed, or a package containing complimentary items or items having no re-sale value, which shall include—

- (a) banking, financial services and insurance items like welcome kits or letters, passbooks, cheque books, bank statements, plastic cards, debit cards and credit cards;
- (b) Government documents such as PAN Cards, Aadhaar cards, Electoral Photo Identity cards, passports, driving licenses; and
- (c) items, upto 500 grams, like Rakhi envelopes or packages, greeting cards or packages, except merchandise or commercial items.

Note 2: All items other than the items referred to in Note 1 shall be dealt with under parcel category.”;

- (b) in regulation 99A, for sub-regulation (5), the following sub-regulation shall be substituted, namely: —

“(5) The tariff for 24 Speed Post and 48 Speed Post services, in respect of Speed Post Document, —

- (a) for retail customers shall be as specified in Table IV B and Table IV C of Schedule I, respectively; and
- (b) for contractual bulk customers shall be as specified in Table IV E and Table IV F of Schedule I, respectively.”;

- (c) in Schedule I, —

- (i) for “TABLE IV B and TABLE IV C”, the following tables shall be substituted, namely: —

‘TABLE IV B						
[See regulation 99A (5) (a)]						
Tariff for “24 Speed Post” under Document category for Retail Customers						
	Tariff (in ₹)					
Weight/Distance	Local	upto 200 Kms.	201 to 500 Kms.	501 to 1000 Kms.	1001 to 2000 Kms.	Above 2000 Kms.
Up to 50 grams	38	94	94	94	94	94

51 grams to 250 grams	48	118	126	136	144	154
251 grams to 500 grams	56	140	150	164	172	186

Note: GST extra as applicable.

TABLE IV C [See regulation 99A (5) (a)]					
Tariff for “48 Speed Post” under Document category for Retail Customers					
	Tariff (in ₹)				
Weight/Distance	Local upto 200 Kms.	201 to 500 Kms.	501 to 1000 Kms.	1001 to 2000 Kms.	Above 2000 Kms.
Up to 50 grams	61	61	61	61	61
51 grams to 250 grams	77	82	88	94	100
251 grams to 500 grams	91	98	107	112	121

Note: GST extra as applicable.’;

(ii) after “TABLE IV D”, the following tables shall be inserted, namely: –

‘TABLE IV E [See regulation 99A (5) (b)]				
Tariff for “24 Speed Post” under Document category for Contractual Bulk customers				
	Tariff (in ₹)			
Weight Slab	Local	Within State	Between Metro Cities	Rest of Country
Up to 50 grams	38	50	68	70
51 grams to 500 grams	48	60	94	100

Note : GST extra as applicable.

TABLE IV F [See regulation 99A(5) (b)]			
Tariff for “48 Speed Post” under Document category for Contractual Bulk customers			
	Tariff (in ₹)		
Weight Slab	Within State	Between Metro Cities	Rest of Country
Up to 50 grams	48	56	60
51 grams to 500 grams	59	70	72

Note: GST extra as applicable.’.

[F. No. 39-09/2019-D]
PRADEEP KUMAR, Dy. Director General (MO)

Note: The Post Office Regulations, 2024 were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii) *vide* notification number S.O. 5440 (E), dated the 16th December, 2024 and last amended *vide* notification number S.O.3891 (E), dated the 15th July 2026.